न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 68/2017 **दायरा दिनांक : 19.06.2017**

उनवान

मोहनलाल आत्मज काना जी, जाति भील, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां कायम मुकामान काना आत्मज भैरू, जाति भील, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मृतक किशन लाल, आत्मज पन्ना लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1— मोती लाल आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1/1— शिवलाल आत्मज स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/2— जगदीश आत्मज स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/3— रघुवीर आत्मज स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/4— गजानन्द आत्मज स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/5— भंवर बाई पुत्री स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/6— भूली बाई पुत्री स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/7– संतोष बाई पुत्री स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/1/8– मांगी बाई बेवा स्व0 मोती लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/2– हीरालाल आत्मज आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/2/1– छीतरलाल आत्मज स्व0 हीरा लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/2/2– जुगराज आत्मज स्व0 हीरा लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/2/3– राजू बाई पुत्री स्व0 हीरा लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/2/4– सुमित्रा बाई पुत्री स्व0 हीरा लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/2/5– निहाल बाई बेवा स्व0 हीरा लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/3– आनन्दीलाल आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/4– प्रभूलाल आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/5– मथुरालाल आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/6– धन्नालाल आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/7– हरीलाल आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

1/8– जगदीश आत्मज किशन लाल, जाति जाट, निवासी सेवन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–

1/8/1– महावीर आत्मज स्वर्गीय जगदीश, जाति जाट, निवासी सेवन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/8/2– मुकुट आत्मज स्वर्गीय जगदीश, जाति जाट, निवासी सेवन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/8/3– राजेश बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश, जाति जाट, निवासी सेवन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/8/4– रामप्यारी बेवा जगदीश, जाति जाट, निवासी सेवन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– माधो वल्द भैरू, जाति भील, जाति जाट, निवासी सेवेन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (ला औलाद फौत)

3– काना आत्मज भैरू, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–

3/1– जानकीलाल आत्मज काना, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3/2– हजारीलाल आत्मज काना, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3/3– मांगीलाल आत्मज काना, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3/4– रामरतन आत्मज काना, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3/5– रूकमा आत्मज काना, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– रामनाथ आत्मज भैरू, जाति भील, निवासी सेवन्या हाल काजल्या पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

6– भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन विभाग, झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री रमेश राठौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजमोहन मालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.10.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, इकलेरा के प्रकरण संख्या — 562/1976 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.1986 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 दादा, किशनलाल जी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 91, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया ग्राम छीपाहेड़ा तहसील खानपुर के माल की खसरा नम्बर 419/29—30—32—40 की 7 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 420/29—30—32—40 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 447/29—30—32 की 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 448/29—30—32—34 की 14 बिस्वा कुल 4 किता की 14 बीघा 16 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता भैरूलाल जी के खाते दर्ज चली आ रही है । उक्त आराजी पर किशनलाल जी का सम्वत 2001 से कब्जा काश्त चला आ रहा है । भैरू लाल को मरे हुए 15 साल हो गये हैं इसलिए कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं और वादी को खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने दिनांक 09.03.77 को जवाब पेश किया और आलेखित किया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता भैरू लाल जी के खाते की है, प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा बतौर अतिक्रमी है जिसको दिनांक 13.01.77 के आदेश से बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलवाया गया है । दौराने वाद वादी की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामान रेकार्ड पर लिये ।

प्रतिवादी नम्बर 2 काना की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामन को रेकार्ड पर लिया । दोनों पक्षों की बहस सुनकर सरसरी तौर पर विवादित आराजी जिसके नये खसरा नम्बर 15 की 145 बीघा 16 बिस्वा कायम हुआ है का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.1986 विधि, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता व दादा भैरू जी के खाते की है, प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । आराजी पर वादी का कब्जा बतौर अतिक्रमी है । जिसको दिनांक 13.01.77 को बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया गया । किन्तु वादी मृतक किशनलाल जो वादी के दादा जी भैरू जी के यहां हाली का काम करता था जिसने भैरू जी को मारपीट कर निकाल दिया व भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया । इस तरह प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को विवादित आराजी का खातेदार अधिकार प्रदान कर दिये । प्रतिवादीगण, अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट के पिता व दादा भैरू ने वादीगण को वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता भैरू का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था । प्रतिवादीगण की जाति मीणा और वादी की जाति जाट है तथा विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रह हैं । वादग्रस्त आराजी पर कभी भी वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वर्तमान में भूमि अपीलांट के कब्जे में होने व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अकावद बांध परियोजना में भूमि का अधिग्रहण किये जाने पर मुआवजा राशि रेस्पोडेंट प्राप्त करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.02.1986 को निर्णय व डिक्री पारित की उस समय अपीलांट नाबालिग था । अपीलांट को निर्णय

के बाबत कोई जानकारी नहीं थी । वर्तमान में भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में हाने व भूमि अवाप्ति अधिकार द्वारा भूमि अकावद बांध परियोजना में अधिग्रहण किये जाने पर मुआवजा राशि अपीलांट को न देकर रेस्पोडेंट को देने व भूमि उनके नाम दर्ज होने बाबत बताया । इस पर नकल जमाबंदी व अन्य रेकार्ड की जानकारी उपलब्ध कराई तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 31.05.2017 को हुई और उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया और दिनांक 01.06.2017 को नकल प्राप्त कर रूपयों का इंतजाम कर यह अपील अविलम्ब पेश की और उक्त अविधि का कन्डोन किया जाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.05.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष की सर्वप्रथम लिमिटेशन के बिन्दु पर बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को जब उपरोक्त विवादित आराजी का ज्ञान हुआ तब प्रार्थी की आराजी अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज की जा चुकी थी । प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का काश्तकार है एवं अपीलांट सवर्ण जाति के काश्तकार हैं । अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.02.1986 के विरूद्ध न्यायालय में पेश की गई है । अपीलांट के द्वारा उपरोक्त अपील में 31 वर्ष 3 माह 6 दिन का विलम्ब के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त अथवा तर्कसंगत कारण नहीं बताया गया है । अपीलांट का इतने लम्बे समय के डिले को कन्डोन किया जाना उचित नहीं है । अपीलांट के द्वारा विलम्ब का शमन करने के लिए जो कारण दिये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि डिक्री जब 1986 में पारित की गई थी तब अपीलांट नाबालिग थे । अतः उन्हें जानकारी का अभाव था । वकील रेस्पोडेंट ने इस सम्बन्ध में कथन किया है कि यदि अपीलांट सन् 1986 में नाबालिग थे तो वह बालिग कब हुए इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई तथ्य पत्रावली पर पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पत्रावली में दिनांक 18.01.84 को मोहन लाल जो कि अपीलांट है कायम मुकामान के रूप में दर्ज हुए हैं एवं उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बालिग के रूप में वकील भी नियुक्त किया गया है । अतः रेस्पोडेंट का यह कथन कि अपीलांट निर्णय दिनांक 25.02.86 को नाबालिग थे स्वीकार्य नहीं है । रेस्पोडेंट वकील द्वारा बहस में यह भी कथन किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजी एडवर्स पजेशन के आधार पर सन् 1986 में हमारे खाते में दर्ज हुई है । अतः अपीलांट का उपरोक्त विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और वर्तमान में भी उपरोक्त आराजी पर रेस्पोडेंट का ही कब्जा काश्त है । इस सम्बन्ध में रेस्पोडेंट वकील द्वारा 2016(1)CJ(Civ.)(राज.) पेज 109 की नजीर पेश की है जिसके अनुसार यदि लिमिटेशन अपील में तर्क संगत कोई कारण नहीं हो तो लिमिटेशन का शमन नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट वकील द्वारा कथन किया कि अपीलांट का यह कहना कि वह अनुसूचित जनजाति का है उसके लिए भी धारा 5 लिमिटेशन में अपील कन्डोन करने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है । अतः अपीलांट का यह कथन है कि वह अनुसूचित जनजाति का है इस आधार पर भी डीले कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में सेक्शन 63 के अनुसार भी अपीलांट की टीनेन्सी अर्थात् खातेदारी अधिकार खत्म हो चुके हैं । सेक्शन 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं तो उनको पुनः लिमिटेशन सीमा को

भी कन्डोन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार सेक्शन 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने खातेदारी अधिकारों को बेचान, वसीयत और दान इत्यादि नहीं कर सकता है, परन्तु उपरोक्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा रेस्पोडेंट को एडवर्स पजेशन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.1986 को डिक्री पारित की गई है जिसमें उपखण्ड अधिकारी के द्वारा यह विवेचना भी की गई है कि यद्यपि प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं किन्तु मृतक किशनलाल वादी का कब्जा रेकार्ड के आधार पर 1955 से पूर्व का पूर्णतया साबित है । अर्थात् रेस्पोडेंट के पक्ष में तनकी निर्धारित कर रेस्पोडेंट को मेरिट पर खातेदारी अधिकार सन् 1986 में प्रदान किये गये हैं और तब से रेस्पोडेंट आज दिनांक तक उपरोक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अतः अपीलांट की अपील किसी भी रूप में लिमिटेशन के दायरे में नहीं आती है और स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जाना उचित होगा ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.86 का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तनकीयात कायम कर वादी एवं प्रतिवादी की सुनवायी की जाकर मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया जाना पाया गया है एवं उसी आधार पर रेस्पोडेंट को दिनांक 25.02.86 में उपरोक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । अतः लिमिटेशन कन्डोन किये जाने के कारण कोई युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत कारण पत्रावली पर नहीं होने से लिमिटेशन के बिन्दु पर अपील स्वीकार योग्य नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.1986 यथावत रखा जाता है एवं यदि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में धारा 42 का कोई उल्लंघन इस

सम्बन्ध में पाया जाता है तो सम्बन्धित तहसीलदार पृथक से उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा